Witness No.....**02.**.....For .....अभियोजन..... Diposition takan on **..21.11.2024..** the day ..गुरूवार..Witness's apparent age.40 yrs States on affirmation .....शपथपूर्वक...my name is .प्रकाश बरेठा ..... S/o.....स्व० श्री राधे बरेठा.....Occupation.....सायकल रिपेरिंग का कार्य.....Address–कमलानगर वार्ड नम्बर 11 सारंगढ़, जिला–सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ०ग०)

साक्ष्य प्रारंभ 01.10 To

मुख्य परीक्षण द्वारा ए०डी०पी०ओ० श्री हुतेश सिंह नेताम वास्ते शासन

1. साक्षी को गिरफतारी पत्रक में चस्पित आरापी उमेश सिदार की फोटो दिखाये जाने पर पहचानना बताया । मैं आहत देवेश बरेठा को पहचानता हूं, वह मेरा लड़का है ।

2. घटना वर्ष 2022 की है । घटना दिनांक को दोपहर के समय मेरा लड़का देवेश बरेठा मुड़ा तालाब की तरफ घुमने गया था,वहां पर मोहल्ले का आरोपी उमेश सिदार जो पहले मोबाइल चोरी के संबंध में मेरे लड़के से रंजिश रखा था, मौका पाकर मेरे लड़के देवेश बरेठ को आरोपी ने डंडे से एक बार पीठ में और दो बार सिर में मारकर चोट पहुंचाया था । चोट से सिर से खून निकल रहा थ । घटना के समय वहां उपस्थित भुवन बरेठा, दिलीप सिदार ने मेरे लड़के देवेश बरेठा को अस्पताल लेकर गये । मैं थाना सारंगढ़ जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी । प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–1, घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र०पी०–2 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

इसी स्तर पर ए०डी०पी०ओ० द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही, अभिलेख अवलोकन पश्चात् अनुमति दी गयी ।

3. यह कहना सही है कि दिनांक 28.07.2022 को मेरा लड़का देवेश बरेठा

शाम 4.30 बजे मुड़ा तालाब की तरफ गया था, वही मोहल्ले का आरोपी उमेश सिदार पहले मोबाइल चोरी के संबंध में रंजिश रखते हुए मेरा लड़का देवेश बरेठा को मौका पाकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौच किया और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ, मुक्के और डंडे से पीठ और सिर में चोट पहुंचाया ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री डी०पी० कहार वास्ते अभियुक्त

4. यह कहना सही है कि मैं घटना का दिन और तारीख नही बता सकता । साक्षी स्वतः कहता है कि त्यौहार के दिन की बात है । यह कहना सही है कि मोबाइल चोरी के संबंध में, मैं एवं मेरा लड़का कभी भी रिपोर्ट करने नही गये थे । यह कहना सही है कि मैं, आरोपी उमेश सिदार को मेरे लड़के देवेश बरेठा को डंडे से मारते हुए नही देखा हूं ।

5. यह कहना सही है कि घटना के समय में कौन, कौन वहां पर उपस्थित थे, उसे भी मैं नही जानता हूं, क्योंकि मैं घटना के समय उपस्थित नही था । यह कहना सही है कि आरोपी उमेश सिदार मेरे लड़के को डंडा से मारा या मुक्का से मारा मैं नही बता सकता क्योंकि मैं वहां उपस्थित नही था । साक्षी स्वतः कहता है कि डंडे की जप्ती पुलिस वालो ने की थी ।

6. यह कहना गलत है कि उक्त डंडे भिरहा का था या बांस का था, नही बता सकता । साक्षी स्वतः कहता है कि उक्त डंडा बमरी का था । यह कहना गलत है कि मैं डंडे की लम्बाई नही बता सकता । साक्षी स्वतः कहता है कि दो हाथ लम्बा था । यह कहना गलत है कि उक्त डंडा की जप्ती कहां हुआ नही बता सकता । साक्षी स्वतः कहता है कि मुड़ा तालाब के पास हुआ था ।

7. यह कहना सही है कि पुलिस वालो ने मेरे समक्ष घटना स्थल का किसी भी

किस्म का नजरी नक्शा नही बनाया है । यह कहना सही है कि थाने में, मैं लिखित में रिपोर्ट किया था । यह कहना गलत है कि उक्त रिपोर्ट को पहले से कोई लिखे थे, उसमें मैंने अपना हस्ताक्षर किया था । यह कहना गलत है कि मैं थाने में लिखित में रिपोर्ट किया था ।

साक्ष्य समाप्तः **01.35 बजे**

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया
सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देश पर टंकित ।

सही /–
(शीलू सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सारंगढ़ (छ०ग०)

सही /–
(शीलू सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सारंगढ़ (छ०ग०)

साक्षी के हस्ताक्षर